जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी नानू खां व प्रतिवादी संख्या 4 ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि उपस्थित मौतबिरान रजाक खां पुत्र गुलाब खां, जुबेदा पत्नी युसुफ खां सरंपच बरनेल तथा पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। हस्तगत प्रकरण केवल इकरारनामा के आधार पर लाया गया है तथा बेचान के लिये इकरार सिद्व होने व हस्तानान्तकरण होने की स्थिति में इकरारनामा अपंजीकृत होने पर नियमानुसार राजहक में पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क जमा करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा अम्वाली तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 29, 35, 79, 40, 41 का बंटवाड़ा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार किया जाकर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये दिनांक 21.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी नानूखां पुत्र मीरखां के हक बंट में मौजा अम्वाली का खेत खसरा नंबर 29 रकबा 3.6 बीघा में से 1.13 बीघा उतरी भाग , खसरा नं. 35 रकबा 2.7 बीघा में से 1.04 बीघा उतरी भाग , खेत खसरा नं. 79 रकबा 14.01 बीघा पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मजीदखां, अलीखां, मेहबुब खां, उस्मान खां, हुरकी पत्नी गनीखां के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा में अम्बाली का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 8 बीघा पूरा, खसरा नंबर 41 रकबा 7 बीघा पूरा, खसरा नंबर 29 रकबा 3.6 बीघा में से 1.03 बीघा में से 1.13 बीघा दक्षिणी भाग , खसरा नं. 35 रकबा 2.7 बीघा में से 1.03 बीघा दक्षिणी भाग रखा गया है।
3. हस्तगत प्रकरण में बेचान के लिये इकरार सिद्व होने व हस्तानान्तकरण होने की स्थिति में नियमानुसार राजहक में पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।
4. संबंधित बैंक.................................. को रहन खसरान् के संबंध में सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर जायल (सि.डी.ओ.)

Scanned with CamScanner